झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं.1004/2024

------

1. देवनाथ राजभर @ देवराज, आयु लगभग 26 वर्ष , पिता - श्री रामदेव राजभर, निवास स्थान -धर्मपुरी, मिड्ढा, डाक घर और थाना, बलिया जिला-बलिया (यू. पी.)।

2. विकेश चंद्र मिश्रा @विकास कुमार, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता -बीरेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम- कोवाटर स. 3-209, सेक्टर-2/सी, बोकारो स्टील सिटी, डाक घर और थाना.बोकारो, जिला-बोकारो।

3. संगीता कुमारी @संगीता कुमारी, आयु लगभग 30 वर्ष ,पिता- शंभू महतो, निवास स्थान -ग्राम पत्थलचारी, डाक- बेनगरिया, थाना- पंचेत, जिला-धनबाद।

4. अनीता कुमारी आयु लगभग 21 वर्ष- पिता-द्वारका प्रसाद महतो, निवास स्थान -गाँव बाघमारा, सराइभिथा, बलियापुर, डाक घर और थाना- बलियापुर, जिला-धनबाद।

5. अनुराग पांडे, जिनकी आयु लगभग 28 वर्ष है। पुत्र - मनोज कुमार पांडे, निवास स्थान- एम. एच. 75/ए, रांची कॉलोनी, कालीपहाड़ी दक्षिण, कमलिया, डाक घर, थाना और जिला-धनबाद।

6. कृष्ण कुमार पांडे @के. के. पांडे, आयु लगभग 50 वर्ष, पिता--रामेश्वर पांडे, आर/ओ बी/429, धुरवा, डाक घर और थाना- धुरवा, जिला-रांची।

7. संजय कुमार सिंह , आयु लगभग 54 वर्ष - पिता-विजय सिंह, ग्राम-छोटकी सेरिया, सराया, डाक घर और थाना, जिला- बलिया (यू. पी.)।

8. उदय प्रसाद सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, पिता- स्वर्गीय देवतानंद सिंह, ग्राम- अशचौरा, छट्टा बलिया, डाक घर और थाना, जिला- बलिया(यू. पी.)

... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. कैलाश गोराई उर्फ कैलाश चंद्र गोराई, पिता- स्वर्गीय वरुण गोराई, निवास स्थान खोखरा पहाड़ी, डाक घर- लेदारिया, थाना- निरसा, जिला-धनबाद

... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए	: श्री शैलेश के. सिंह, अधिवक्ता श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	: सुश्री श्वेता सिंह, अतिरिक्त निदेशक पी. पी
उत्तरदाता. संख्या 2 के लिए	: श्री यश राज गुप्ता, अधिवक्ता श्री अभिजीत के. सिंह, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए, 420, 120बी और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज निरसा (कालूबथन ओपी) पीएस केस

नंबर 83 /2024 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग रखने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है और उक्त मामला अब विद्वान जे.एम.एफ.सी., धनबाद के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान वादकालीन आवेदन संख्या 3519/2024 के अंतर्वर्ती आवेदन की ओर आकर्षित करते हैं, जिसका समर्थन याचिकाकर्ताओं और विरोधी पक्ष के अलग-अलग हलफनामों द्वारा किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आपराधिक मामले विचाराधीनता रहने के दौरान, दोनों पक्षों ने लंबे समय से शांति और सद्भाव के हित में अदालत के बाहर अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और सूचना देने वाले को पक्षों के बीच हुए समझौते के ज्ञापन को देखते हुए मामले पर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी प्रति तत्काल बातचीत के साथ संलग्न की गई है। सांविधिक आवेदन।इसके बाद यह संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि धनबाद के दीवानी न्यायालय में पक्षों के बीच समझौता हो गया है और पीड़ितों को याचिकाकर्ताओं से उनके नुकसान के लिए मुआवजे की राशि मिल गई है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच विवाद विशुद्ध रूप से एक निजी विवाद है और इस मामले में कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने की संभावना कम और कम है इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निरसा (कालूबथन ओ.पी.) पीएस केस नंबर 83/2024 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान जेएमएफसी, धनबाद के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. विद्वान अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित पी. पी. ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, राज्य को निरसा (कालूबथन ओपी) पीएस केस नंबर 83/2024 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग रखने में कोई आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान जेएमएफसी, धनबाद के समक्ष लंबित है

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि द्वाराबतभाई अहीर के मामले में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **परबतभाई आहिर @ भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य** (2017) 9 एस. सी. सी. 641 अन्य बातों के साथ साथ अभिलिखित, पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था और अनुच्छेद न०.11 अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> *"11. धारा 482 को एक प्रबलित प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया गया है।अधिनियम उच्च न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्च न्यायाधीशालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 303:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1188:(2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 160:(2012) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 988] इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस विषय पर पूर्ववर्ती निकाय को संबोधित किया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि निहित अधिकार क्षेत्र क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी प्राथमिकी आर. या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं।जिन विचारों पर उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए, वे हैंः(एस. सी. सी. पीपी. 342-43, पैरा 61)*
>
>> *"61. ... अपनी निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी आर. या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को बढ़ाने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक रूप से पूर्ण होती है और इसकी कोई वैधानिक सीमा नहीं होती है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश*

के अनुसार किया जाना चाहिए।((i) न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना, या (ii) किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी आर. को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो।इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता।; <u>ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है।लेकिन अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद वाले आपराधिक मामले रद्द करने के उद्देश्यों के लिए एक अलग आधार पर खडे हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है</u>।इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत

उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायाधीशालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्यायाधीश के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और क्या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायाधीशालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।" (जोर दिया गया) "

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में शामिल मानसिक भ्रष्टता का गंभीर अपराध है, बल्कि यह पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है और पक्षों के बीच विवाद का एक नागरिक स्वाद है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ताओं को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उनके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां निरसा (कालूबथन ओपी) पीएस केस नंबर 83 / 2024 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान जेएमएफसी, धनबाद के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रार्थना की गई है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

9. तदनुसार, निरसा (कालूबथन ओ.पी.) पीएस केस नंबर 83 / 2024 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान जेएमएफसी, धनबाद के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग रखा जाता है।

10. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

11. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान के मद्देनजर, 2024 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 3519 तदनुसार निपटाया जाता है.

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
15 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष-सरोज

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।